

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

 नई विल्ली, शमिवार, जुलाई 19, 1975/म्राषाढ़ 28, 1897

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 19, 1975/ASADHA 28, 1897

इस माग में भिन्न पृष्ठ संख्या ही जाती है जिससे कि यह ग्रलग संकलन के रूप में एखा जा सके। Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## पाग II--खण्ड 3--उप-खंड (i)

PART II-Section 3-Sub-Section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गये साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के ग्रावेश, उपनियम आवि सम्मिलत हैं।

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

मित्रमंडल मिचवालय

(कार्मिक ग्रीर प्रशासनिक विभाग)

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 1975

सा॰का॰ित॰ 872 — प्रखिल भारतीय सेवा प्रिधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदक्त प्रक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, संबद्ध राज्य सरकारों से परानगं के पश्चात्, प्रखिल भारतीय सेवा (अनुणासन श्रीर भ्रपील) नियम 1969 का श्रीर संशोधन करने के लिए एनद्द्वारा निम्नलिखिन नियम बनाती है, प्रथात् ——

- 1.~(1) ये नियम श्रायिल भारतीय (श्रनुशासन श्रीर श्रापील) सन्नोक्षन नियम, 1975, कहे जा सकेरो।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाणन की तारीख को लागु होगे।
- 2. शिखल भारतीय सेवा (श्रनुणासन श्रीर श्रिपील) नियम, 1969 (जिसे इसमे इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, खण्ड (ग) श्रीर उसके स्पष्टीकरण] के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रति-स्थापित किया जायगा, अर्थान् .---
  - "(ग) 'सरकार' से अभिन्नेत है---
  - (i) राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा कर रहे किसी सदस्य के बारे में या जो किसी ऐसी कंपनी, सगम या व्यब्टिनिकाय

में, चाहे निगमित हो या न हो, जो उन राज्य की सरकार के पूर्णतः या पर्याप्त रूप से स्वामित्व में है या उनके द्वारा नियंत्रित है या किसी राज्य के विधान मंडल के किसी श्रावितियम द्वारा बनाए गए किसी स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया है, उस राज्य की सरकार;

GISTERED No. D(D)-73

- (ii) किसी ग्रन्य मामले में केन्द्रीय सरकार;
- 3. उपत नियम के नियम 3 में,---
- (i) "अनुशासिनिक कार्यवाहियो के दौरान निलंबन"—-शीर्षक के स्थान पर "निलंबन" गीर्थक प्रतिस्थापित किया जायगा;
- (ii) उपनियम (i) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रति-स्थापिन किए जाएगे, ग्रार्थात् --
  - (i) यदि किसी मामले में, परिस्थितियों को ग्रीर जहा श्रारोप के ब्यौरे बनाए गए है, यहां श्रारोों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, यथास्थिति, किसी राज्य की सरकार या केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि जिस सदस्य के त्रिकृत श्रनुणासनिक का विश्वित श्रीकित है या निलंबित है, सेवा के उस सदस्य को निलंबनाधीन रखना ग्रावश्यक या बाछनीय है, तो वह सरकार, अनुशासनिक कार्यवाहियां पूरी होने ग्रीर मामले से ग्रीतम श्रादेश पारित होने पर्यन्त---
    - (क) यदि सेवा का सदस्य उस सरकार के प्रधीन सेवा कर रहा है, सो उपे निलंबिन करने का प्रदिश पारिन कर सकेगी, या

## SCHEDULE

	Name of post	cm 10 d 0.4	G 1. 6	Percentage of posts to be filled by		
SI. No		Classification of the post	Scale of pay	Direct recruitment	Promotion by Selection	Promotion by Seniority-cum- fitness
1	2	3	4	5	6	7
30 J	unior Reception Officer.	General Central Service Class III (Non-Gazetted Non-Ministerial).	Rs. 330-10-380-EB- 12-500FB-15-560.	Not Applicable	Not Applicable	Not applicable

Transfer/Deputation	For	Direct recruitment only	For Promotion/Transfers only		
	Age limit	Educational and other qualifications required		Grade/Source from where pro- motion/tiansfer are to be made	
8	9	10	11	12	

100% by deputation/transfer Between 18 and (1) Higher Secondary or equiva- Not Applicable failing which by direct recruitment.

25 years.

- lent.
- (2) A good personality with ability to converse fluently in English and Hindi.

Deputation or Transfer:

Upper Division Clerks or Lower Division Clerks of the Ministry of Information and Broadcasting Cadre of Central Secretariat Clerical Service with 5 year's approved service in the Grade of Upper Divi-sion Clerk or 10 Year's approved service in the Grade of Lower Division Clerk and Clerk Grade I/or Clerk Grade II in the subordinate Offices of the Ministry of Information and Broadcasting with the same length of service (period of deputation ordinarily not exceeding three years).

[File No. A. 12019/6/74-Est. I] DESH RAJ SINGH, Deputy Secy.

मई दिल्ली: 24 जुन, 1975

सा०का०वि० 894.---यनिधान के प्रमुक्कोद 309 के परन्तुक द्वारा ब्रदस अधिकारी का प्रयोग करने हुए, राष्ट्रपति आकाशभाणी (श्रेणी-2 पद) मती नियमावली , 1962 में अतिरिक्त मंगोधन करमें के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित सियम बनाते है, अबित:--

- (1) इन निक्रमों को ग्राकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती (दिनीय संशोधन) नियमावनी, 1975 कहा जा लकेगा।
- (2) के नियम नरकारी राजपन्न में प्रकाशित होने की सारीय को त्रवल होगे।

2 श्राकाशवाणी (श्रेणी-2 पद) भर्ती नियमावली, 1962 की श्रनुसूची में, क्षम संख्या 24 के सन्मुख, कालम, 12 के अन्तर्गत, वर्गमान प्रविष्टिया के स्थान पर निम्मलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी .---

''वदोन्नति : **वे पणामनिक प्र**धिकारी (650-30-740-3**5-**810-व ॰ रो ॰ - 3 5 - 880 - व ॰ रो ॰ - 40 - 960 रुपये) जिनकी इस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद 5 वर्ष की सेवा हो"।

[फाइल सक्या 1-12-73-भी०(ए)]

New Delhi, dated the 24th June, 1975

G.S.R. 894.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President

hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the All India Radio (Class II Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1975
- (2) They shall come into force on the date of their publication the Official Gazette
- 2. In the Schedule to the All India Radio (Class II Posts) Recruitment Rules, 1962 against serial number 24, in

column 12, for the existing entry, the following shall be substituted, namely:—

"Promotion:

Administratiive Officer (Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-EB-40-960) with 5 years' service in the grade rondered after appointment thereto on a regular basis."

[File No. 1/12/73-B(A)]

नई दिल्ली, 30 जून, 1975

सा का विन 895.—संबिधान के धतुक्छेद 309 के परस्तुक द्वारा प्रदत्त ग्रधिकारों का प्रयोग करने हुए, राष्ट्रपति धाकाशवाणी (श्रेणी 1 पत्र)भर्ती नियमावली, 1963 में घतिरिक्त संशोधन करने के लिए एतदुशारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, धर्यातु:---

- ा. (1) इन नियमो को धाकाशवाणी (श्रेणी 1 पद) भर्ती (तृतीय मंशोधन) नियमावली, 1975 कहा जा सकेगा।
  - (2) ये नियम सरकारी राजपक्त में प्रकाशित होने की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. श्राकाणवाणी (श्रेणी-1 पव) भर्ती नियमावली, 1963 की श्रनुसूची में, क्रम संबंधा 6 तथा तत्संबंधित प्रविष्टियों के स्वात पर निस्तिविद्यत क्रम संबंधा तथा प्रविष्टिया प्रतिस्थापित की जायेंगी, श्रयोत्:--

	3	4	5	- 6	7	·	8
"11. निदेशक श्रोता ग्रनुसधान।	I	सामान्य केन्द्रीय सेवा, श्रेणी-1, राजपक्रित ।	1300-60-1600- 100-1800 सपर्वे (पूर्वे संबोधित)		45 वर्ष से भ्रंधिक नहीं (सरकारी कर्म- भारियों के लिए भ्रूट दी जा सकेगी)	(1) किसी विश्वासक । सनोविज्ञ या मर्थेश स्नातकोर परीक्षा	सान्वता प्राप्त विश्व- य की संसाख शास्त्र य ति या मानव विज्ञान रास्त्र या सांख्यिकी में तर डिग्नी या समकका पास । बित में कम से कम
						किल्ही वं ग्रनुभनः (क) जनम सर्वेष (बा) श्रोत (ग) फिल्म जैसे वृ	ो में लगभग 5 वर्ष का :— सत सर्वेक्षण या पाठक तण। ग्रमनुसंधान। गृटेलीविजन, विज्ञापन एय माध्यमों के प्रमाव
						का अध्ययन । (च) मार्केट सर्वेक्षण और/या उप- भोक्ता प्राहयता सर्वेक्षण । (प्रत्यया युयोग्य उम्मीदवारों के	
	<del></del>					मायने में	सब लोक सेवा भायोग किसे भईताओं में छूट
9			11	12		3	14
न तागू नहीं होता	2 वर्ष		युक्ति पर स्वा- ।	तिनियुक्ति पर स्थानास्त भारतीय अर्थ-शास्त्र सेव सोख्यिकीय सेवा के ग्रेड- कारी, इसके न हो सकने	ना, भारतीय -1 के अधि-	ो होता	जैसा कि संघ लोक सेत्रा ग्रायोग (परा- मर्श से छूट) वि- नियम, 1958 के

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण: लागू तही होता जैसा कि संच लोक भारतीय प्रयं-शास्त्र सेवा, भारतीय सेवा प्रायोग (परा-सोख्यिकीय सेवा के ग्रेड-1 के अधि-कारी, इसके न हो सकने पर भार-तीय प्रयंशास्त्र सेवा या भारतीय प्रायंगास्त्र सेवा या भारतीय प्रायंगास्त्र सेवा या भारतीय प्रायंगास्त्र सेवा या भारतीय प्रायंगास्त्र सेवा के ग्रेड-2 के वे अधिकारी जिनकी ग्रेड में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव हो । (प्रतिनियुक्ति की अधिक नहीं होगी) ।